उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड,
पंतनगर, पत्रालय हल्दी, जनपद ऊधमसिंह नगर.

C.I.N. – U01122UR1969SGC003228

पत्रांक: बीनि/05/निर्वा0-सूचना/2023/1202

दिनांक : दिसम्बर 21, 2023

''सूचना''

समस्त अंशधारी,

विषय: खण्ड एफ के अंशधारियों की दिनांक 30 जनवरी, 2024 को 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होने वाली बैठक में संचालकों का चुनाव.

प्रिय महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि आर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकिल 111 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए एक सभा इस निगम के अंशधारियों की, जो निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों की परिधि में आते हैं, दि0 30 जनवरी, 2024 दिन मंगलवार को 10 बजे प्रात: से 4 बजे सांय तक निगम के पंजीकृत कार्यालय, पंतनगर, पोस्ट: हल्दी, जनपद ऊधम सिंह नगर में होनी निश्चित हुई है। इस बैठक में निम्नलिखित में से प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में संचालक का चुनाव होना है :

2. खण्ड एफ के अंशधारियों में से संचालकों के निर्वाचन के लिए उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड का कार्यकारी क्षेत्र निम्नलिखित 04 निर्वाचन क्षेत्रों में बॉटा गया है

क्रमांक	खण्ड	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या		क्षेत्र (तहसील/जिला)	
1	एफ	चार 4	I	1	किच्छा क्षेत्र
				2	बहेड़ी क्षेत्र
				3	सितारगंज क्षेत्र
				4	हल्द्वानी क्षेत्र
			II	1	बिलासपुर क्षेत्र
				2	कानपुर-फैजाबाद क्षेत्र
			III	1	काशीपुर क्षेत्र
				2	रामनगर क्षेत्र
			IV	1	बाजपुर क्षेत्र
				2	गदरपुर क्षेत्र
				3	स्वार क्षेत्र

3. उपरोक्त निर्वाचन खण्ड एफ से चार संचालक चुनें जायेंगे। निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह जिस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र प्रस्तुत करें, उसी क्षेत्र का अंशधारी हो। निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्येक योग्य अंशधारी एक प्रत्याशी को मनोनीत कर सकता है, जिसका अनुमोदन उसी क्षेत्र के दूसरे योग्य अंशधारी द्वारा किया जाना चाहिए। प्रत्येक अंशधारी इस आशय हेतु निर्वाचक होगा।

4. निगम के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के अनुच्छेद 114 के अधीन निगम के ब्लाक एफ के निदेशक की योग्यता कुल अंकित मूल्य रू0 5,000/- (रूपये पॉच हजार) के कम्पनी के इक्विटी अंशों को रखने की होगी। कोई भी प्रत्याशी निदेशक यह योग्यता प्राप्त करने से पूर्व कार्य कर सकता है, परन्तु किसी भी दशा में अपनी नियुक्ति के बाद दो माह के भीतर उसे यह योग्यता प्राप्त कर लेना होगा अन्यथा इसी कारण निदेशक पद को खाली कर देगा।

Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.
Pantnagar, P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar(Uttarakhand).

C.I.N. – U01122UR1969SGC003228

Letter No. UKS&TDC/Elec.-Notice/2023/1202
Date : December 21, 2023

NOTICE

All the Shareholder,

Sub: Notice to the Shareholders of Block F for Election of Directors at the meeting to be held on 30th January, 2024 from 10:00 AM to 4:00 PM.

Dear Sir,

Notice is hereby given that a meeting of Shareholders of the Corporation belonging to Block mentioned below will be held on Tuesday the 30th January, 2024 between 10:00 AM to 4:00 PM at the registered office of the Corporation at Pantnagar, P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar to elect Director from each constituency mentioned against the said Block as provided under Clause 111 of the Memorandum and Articles of Association of the Corporation. The relevant information in this connection is given below.

2. For the purpose of election of Directors of holders of shares in Block F the area of operation of Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd., has been divided into four constituencies and one Director shall be elected from each of the constituency from Block F.

Sl.No.	Block	No. of constituencies	Included Area		Area of the Constituencies	
1.	F	Four 4	Farmers of Tarai Area	I	1. 2. 3. 4.	Kichhha Baheri Sitarganj Haldwani
				II	1. 2.	Bilaspur Kanpur-Faizabad
				III	1. 2.	Kashipur Ramnagar
				IV	1. 2. 3.	Bajpur Gadarpur Swar

3. As indicated above, 4 Directors from Block 'F' would be elected. The Candidate seeking election, as Director should belong to the same constituency from which his nomination is filed. Any qualified Shareholder of a constituency may nominate one Candidate for election of Director, which should also be seconded by a qualified shareholder belonging to the same constituency. Every qualified shareholder would be called an elector for this purpose.

4. Under provision of Article 114 of the Articles of Association of the Corporation qualification of a director under Block F is holding of equity shares in the Company of an aggregate nominal value of Rs. 5000/-. A Director may act before acquiring his qualification shares but in any case shall acquire the same within two months after his appointment failing which he shall, ipso facto, vacate office of director.

5. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 153 के प्राविधानों के अन्तर्गत कम्पनी में नियुक्त होने वाले प्रत्येक निदेशक को डायरेक्टर आइडेण्ट्टीफिकेशन नम्बर (डी0आई0एन0) होना या डायरेक्टर आइडेण्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त करने के लिए नामांकन तिथि तक आवेदन किया गया है, आवश्यक होगा।

6. निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का नाम एक निर्वाचक द्वारा निर्धारित प्रारुप पत्र, जोकि परिशिष्ट-1 के रुप में संलग्न है, प्रस्तावित किया जायेगा तथा दूसरे निर्वाचक द्वारा उसका अनुमोदन किया जायेगा। यह नामांकन पत्र पूरा भरकर, जिसमें प्रत्याशी की स्वीकृति भी अंकित होनी चाहिए, श्री बी0सी0 बमेठा, निर्वाचन अधिकारी के नाम से रजिस्ट्री द्वारा, अथवा बन्द लिफाफे में व्यक्तिगत रुप से कार्यालय समय में दिया जाना चाहिये। निर्वाचन के विभिन्न कार्यों की समय-तालिका परिशिष्ट-2 के रुप में संलग्न है। नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 06 जनवरी, 2024, दिन शनिवार को 1.00 बजे अपरान्ह तक पहुँच जाने चाहिए। कोई भी प्रत्याशी प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के रुप में उस नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, जिसमें उसका स्वयं का नाम प्रत्याशी के रुप में अंकित है।

7. कोई भी अंशधारी, जो अकेले अथवा सम्मिलित रुप से कम्पनी द्वारा माँगी गयी अंश धनराशि का तथा व्यापारिक लेन-देन में, नामांकन पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने से अधिक समय से देनदार है, खण्ड एफ के अंशधारियों द्वारा संचालकों के निर्वाचन के प्रत्याशी होने योग्य नहीं होगा। प्रत्येक प्रत्याशी आवेदन पत्र भरकर कम्पनी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि वह कम्पनी का देनदार नहीं है तथा नामांकन पत्र के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को अपने नामांकन पत्र के साथ जमानत के रुप में धनराशि रु0 1,00,000/- (एक लाख मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा, जोकि **"U.K.S. & T.D.C. Limited"** के पक्ष में ''हल्दी'' में देय हो। प्रत्याशी यदि निर्वाचन में कुल दिये गये मत का 25 प्रतिशत मत प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो यह धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचन अधिकारी को निश्चित तिथि तक अपना नामांकन वापस लेने की सूचना दे देगा या प्रत्याशी निर्वाचित घोशित कर दिया जायेगा, तो जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

9. कोई भी प्रत्याशी पत्र द्वारा, जिसमें उसके प्रस्तावक के एवं अनुमोदक के हस्ताक्षर होंगे, अपना नाम वापस ले सकता है। यह पत्र रजिस्ट्री द्वारा या व्यक्तिगत रुप से निर्वाचन अधिकारी से रसीद प्राप्त कर दिये जा सकते हैं, जोकि निश्चित तिथि तक निर्वाचन अधिकारी के पास अवश्य ही पहुँच जाने चाहिए। एक बार नाम वापस लेने पर यह निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

10. मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा सम्पन्न होगा तथा रिक्त मत पत्र प्रत्येक निर्वाचक को या उसके द्वारा निर्धारित वैध प्रोक्सी को ही दिया जायेगा। प्रत्येक निर्वाचक या उसका प्रोक्सी केवल एक प्रत्याशी के लिए अपना मत दे सकता है, जो कि उसी निर्वाचन क्षेत्र (कांस्टीट्वेंसी) का अंशधारी होगा। निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण शेयर क्रय करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर अंकित क्षेत्र के आधार पर अथवा अन्य उचित आधार पर किया गया है।

11. कम्पनी द्वारा माँगी गयी अंश धनराशि अथवा व्यापारिक लेन-देन का व्यक्तिगत या संयुक्त रुप से बैठक होने की तिथि से 3 माह से अधिक समय का देनदार अंशधारी निर्वाचन में मत देने के अयोग्य समझा जायेगा।

12. प्रत्येक निर्वाचक अपना मत व्यक्तिगत रुप से अथवा प्रोक्सी द्वारा दे सकता है। प्रोक्सी नियुक्त करने का प्रोक्सी फार्म पूर्ण रुप से भरकर उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में निर्वाचन प्रारम्भ होने से न्यूनतम 48 घण्टे पूर्व अर्थात 28.01.2024 दिन रविवार को प्रात: 10.00 बजे तक संलग्न फार्म पर जमा कर दिया जाना चाहिए अन्यथा प्रोक्सी फार्म रद्द समझा जायेगा। प्रोक्सी फार्म परिशिष्ट-3 के रुप में संलग्न है। यदि किसी अंशधारी से समान अंशों के लिए एक ही तिथि में निष्पादित एक से अधिक प्रोक्सी प्राप्त होती हैं, तो ऐसी सभी प्रोक्सी अवैध मानी जा सकती है। प्रोक्सी फार्म पर अंकित तिथि को ही संज्ञान में लिया जायेगा, समय नहीं। निर्वाचन बैठक अध्यक्ष का निर्णय प्राक्सी की स्वीकार्यता हेतु अन्तिम होगा।

5. Under provisions of Section 153 of the Companies Act, 2013 every individual intending to be appointed as a Director of Company should have Director Identification Number (D.I.N.) or has applied for the same by the nomination date.

6. The name of candidate shall be proposed by one elector and seconded by another elector on the prescribed form attached herewith as Annexure-1. The duly completed form bearing the acceptance of the candidate shall be forwarded to Sh. B. C. Bametha, Returning Officer, by name, under registered cover or delivered to him personally in a closed cover, during office hours and a receipt in writing obtained from him. The time schedule for various stages of election has been appended with this notice as Annexure-2. The nomination papers must reach the Returning Officer not later than 6th January 2024, Saturday up to 1:00 PM. No candidate shall sign as proposer or seconder a nomination paper on which his own name appears as candidate.

7. No person shall be qualified to be a candidate for election as Director for holders of shares of Block 'F' if he is a defaulter in respect of the calls made by the Company on him whether alone or jointly with others or in respect of any other dues payable by him to the Company on Account of business transactions for a period of more than three months on the date of nomination. A candidate shall obtain a certificate from the Company in this respect that he is not defaulter in respect of any dues and shall annex it with the nomination paper.

8. As per Section 160 of the Companies Act, 2013, every candidate shall deposit by way of security in the office of the Company a sum of Rs. 1,00,000/- (One Lakh only) through a Demand Draft in favour of "U.K.S. & T.D.C. Limited" payable at "Haldi" along with Nomination Form. This amount shall be forfeited in the case of candidate(s) who do(es) not secure in the election atleast 25% of the total votes polled in his constituency but it will be refunded if he has withdrawn the same by communicating the fact to the Returning Officer by the date prescribed for the purpose. It shall also be refunded in the case of a candidate who has been declared duly elected at the election.

9. A candidate may withdraw his name for contesting an election by sending letter of withdrawal duly signed by him, his proposer and seconder by registered post or by delivering it personally against a receipt, to the Returning Officer so as to reach him by the date and time fixed for this purpose. A withdrawal once made shall be final.

10. The voting shall be by secret ballot, which shall be provided to each elector or his proxy at the time of poll only for one candidate belonging to his constituency. An elector has been assigned the constituency, which includes the constituency area indicated by him in his application filed by him for purpose of shares or other reasonable basis.

11. A Shareholder shall be deemed to be disqualified being an elector, if he is a defaulter in respect of the calls made by the Company on him whether alone or jointly to the Company on account of business transactions for a period of more than 3 months before the date of meeting for election.

12. An elector may record his vote in person or by Proxy on the enclosed Proxy Form. The instrument appointing a Proxy shall be deposited at the registered office of the Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd., Pantnagar, P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar not less than 48 hours before the time of the election i.e. on the 28th January, 2024, Sunday upto 10:00 AM in default, the instrument of Proxy shall not be treated as valid. The proxy form is attached with this notice as Annexure-3. If more than one Proxies of same date for the same shares are received from one shareholder all such Proxies may be deemed invalid. Only the date mentioned in the Proxies will be taken cognizance of, not the time. The decision of the Chairman of the election meeting in regards to acceptance of proxies would be final and abiding.

13. सम्बन्धित प्रत्याशी/प्राक्सी/अन्य द्वारा निगम में उपलब्ध कराए जाने वाले प्रॉक्सी फार्म के साथ अंशधारी द्वारा सत्यापित उनके (अंशधारी एवं प्रॉक्सी-धारक दोनों के) किसी भी मान्य फोटो पहचान-पत्र (वोटर आइडेंटिटि कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राईविंग लाईसेंस या आधार कार्ड) संलग्न कर उपलब्ध करायी जाएगी।

14. प्रत्येक निर्वाचक अपना मत व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राक्सी के माध्यम से निर्धारित मत पत्र पर अंकित करेगा तथा मत पत्र निर्वाचन अधिकारी के आदेश से निर्वाचन के समय निर्वाचक अथवा प्रॉक्सी के पहचान के सत्यापन से संतुष्ट होने के पश्चात् उपलब्ध किया जायेगा। अतः समस्त निर्वाचक व प्रॉक्सी द्वारा पहचान के सत्यापन हेतु वोटर आइडेंटिटि कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राईविंग लाईसेंस या आधार कार्ड मूल रूप में दिखाया जायेगा।

15. प्रत्येक निर्वाचन के मत का मूल्य उसके द्वारा धारित रु0 100/- के अंशों की संख्या के बराबर होगा।

16. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के योग्य अंशधारी निगम के पंजीकृत कार्यालय, पंतनगर, पोस्टः हल्दी, जनपद ऊधम सिंह नगर के उनके लिये निर्धारित स्थान पर मतदान हेतु उपस्थित होंगे और अपने निर्धारित स्थान पर अपना मतदान करेंगे।

17. निर्वाचन को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए प्रारम्भिक 3 घण्टे अर्थात प्रातः 10 बजे से 01 बजे अपरान्ह तक का समय केवल योग्य अंशधारी मतदाता द्वारा स्वयं मतदान के लिये निर्धारित है। उसके उपरान्त 01 बजे अपरान्ह से 04 बजे सांय तक अंशधारी मतदाता के साथ-साथ प्रोक्सी धारक द्वारा मतदान किया जायेगा।

18. अंशधारियों के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची लेने के इच्छुक व्यक्ति रु0 2/- प्रति पृष्ठ देकर इसे निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

संचालकों के निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।

सधन्यवाद,

भवदीय,

कृते उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0

(बी0 सी0 बमेठा)
निर्वाचन अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार.

13. **Concerned candidate/proxy/other shall provide to the corporation a copy of any valid photo identity card (Voter Identity Card or PAN Card or Passport or Driving License or Aadhaar Card) of both (the shareholder and proxy holder) attested by the shareholder, by annexing it with the proxy form.**

14. Every elector shall record his vote in persons or by proxy on the prescribed Ballot Paper which shall be issued to him by the order of returning officer at the time of election on presentation of identification proof to the satisfaction of returning officer. Every elector and proxy is required to bring with him any of the voter Identity Card/Driving license /Passport/Pan card/Aadhaar Card in original.

15. The value of the vote of every elector shall be the same as the number of the shares of Rs. 100/- each held by him in the Corporation.

16. The shareholders of each constituency shall assemble at the place earmarked for their constituency at the premises of Registered Office of the Company, Pantnagar, P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar and shall cast their vote at the place fixed for each constituency.

17. With a view to regulate the election orderly, initial 3 hours time i.e. from 10:00 AM to 1:00 PM will be fixed for exclusive voting only by qualified share holders in person. Thereafter from 1:00 PM till 4:00 PM the shareholders in person as well as Proxies may cast vote simultaneously.

18. Interested candidate can obtain shareholder list of their constituency from Returning Officer by depositing Rs. 2/- per page.

Your cooperation for successful completion of the Election of Directors of the Corporation would be very much appreciated.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Uttarakhand Seeds & Tarai
Development Corporation Ltd.

(B. C. Bametha)
Returning Officer

Encl. As Above.

परिशिष्ट – 1

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पंतनगर, पत्रालय हल्दी, जनपद ऊधम सिंह नगर.

नामांकन – पत्र

कम्पनी के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकिल 111 के अन्तर्गत खण्ड एफ के अंशधारियों द्वारा संचालकों का निर्वाचन.

प्रत्याशी का नाम	सदस्य पंजिका पृष्ठ संख्या	अंशों की संख्या	पता	डायरेक्टर आइडेण्ट्टीफिकेशन नम्बर (D.I.N.)

प्रस्तावक

प्रस्तावक का नाम व पता ....
....
....

सदस्य पंजिका पृष्ठ संख्या ....

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

अनुमोदक

अनुमोदक का नाम व पता ....
....
....

सदस्य पंजिका पृष्ठ संख्या ....

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

मैं खण्ड .... के निर्वाचन में प्रत्याशी के रुप में भाग लेने का इच्छुक हूँ।

स्थान ....

तिथि ....

जमानत राशि रु0 1,00,000/-

डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या ....

दिनांक ....

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

डी.आई.एन. ....

नोटः डायरेक्टर आइडेन्ट्टीफिकेशन नम्बर D.I.N. आदेशात्मक अनिवार्यता है। बिना डायरेक्टर आइडेन्ट्टीफिकेशन नम्बर D.I.N. अथवा पुष्ट आवेदन पत्र के नामांकन पत्र निरस्त होने योग्य है।

Annexure - 1

Uttarakhand Seeds & Tarai Development Corporation Ltd.

Pantnagar, P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar(Uttarakhand).

Nomination Paper

Election of Directors under Article 111 of the Memorandum and Articles of Association of the Corporation from the farmer Shareholders of Block F.

Name of the Candidate	Member Register Folio Number	No. of Shares held	Address	Director Identification Number(D.I.N.)

PROPOSER

Name of proposer ____________________

Address ____________________

Member Register Folio Number ____________________

Signature ____________________

Date ____________________

SECONDER

Name of seconder & address ____________________

Address ____________________

Member Register Folio Number ____________________

Signature ____________________

Date ____________________

I am willing to contest the election of Director as one of the candidates in group constituency area………..........................……

Place ……….........................………

Date ………………….....................…..

Security Deposit Rs. 1,00,000/-

Demand Draft No. …….........................………

Date ………………...................................

Signature of candidate

Date……….........……

D.I.N. ……….........……

Note : D.I.N. is mandatory. Nomination paper without D.I.N. or acknowledged application thereof is liable to be rejected.

Encl: Affidavit as per annexure- 1

परिशिष्ट – 2

निर्वाचन बैठक के विभिन्न स्तरों की समय तालिका

क्रमांक	विवरण	अवधि
1.	नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06 जनवरी, 2024, दिन शनिवार, समयः 1. 00 बजे अपरान्ह तक
2.	नामांकन पत्र जॉच हेतु खोले जाने की अंतिम तिथि	06 जनवरी, 2024, दिन शनिवार, समयः 3.00 बजे अपरान्ह
3.	प्रत्याशियों को, जिनका नामांकन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हो गया हो, की सूचना भेजने की अंतिम तिथि	08 जनवरी, 2024, दिन सोमवार
4.	प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	12 जनवरी, 2024, दिन शुक्रवार समय 1.00 बजे अपरान्ह तक
5.	निर्वाचन योग्य प्रत्याशियों की निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि	15 जनवरी, 2024, दिन सोमवार
6.	अस्वीकृत नामांकन पत्रों के प्रति एतराज प्राप्त करने की अंतिम तिथि	20 जनवरी, 2024, दिन शनिवार, समय 5.00 बजे सांय तक
7.	निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची के निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन की अन्तिम तिथि	23 जनवरी, 2024, दिन मंगलवार, समय 4. 00 बजे सांय तक
8	निगम के पंजीकृत कार्यालय में प्राक्सी फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	28 जनवरी, 2024, दिन रविवार, समय 10.00 बजे तक
9.	निर्वाचन की तिथि	30 जनवरी, 2024, दिन मंगलवार, समय प्रातः 10.00 बजे से सांय4.00 बजे तक

Annexure - 2

TIME SCHEDULE FOR VARIOUS STAGES OF ELECTION

S.No.	Stages of Election	Date and Time
1.	Last date of receipt of Nomination Paper	06 January, 2024 (Saturday) upto 1.00 PM
2.	Date of opening and Scrutiny of nomination papers	06 January, 2024 (Saturday) 3.00 PM
3.	Last date for sending information to the candidates whose nomination papers have been accepted or rejected.	08 January, 2024 (Monday)
4.	Last date for withdrawal of candidature	12 January, 2024 (Friday) upto 1.00 PM
5.	Last date for the publication at notice board at Head Quarter of the final list of the candidates eligible for election	15 January, 2024 (Monday)
6.	Last date for receipt of objection to rejection of nomination papers	20 January, 2024 (Saturday) upto 5.00 PM
7.	Last date of publication at Notice Board of Head Office, the final list of candidates seeking election	23 January, 2024 (Tuesday) upto 4.00 PM
8.	Last date of Deposit of Proxy Forms at the registered office of the Corporation	28 January, 2024 (Sunday) upto 10.00 AM
9.	Date of Election	30 January, 2024 (Tuesday) between 10:00 AM to 04:00 PM

परिशिष्ट – 3

फार्म नं0 **MGT-11**

प्राक्सी फार्म

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी नियम (प्रबन्धन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सी0आई0एन0	**U01122UR1969SGC003228**
कम्पनी का नाम	उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि0
पंजीकृत पता	पन्तनगर, पो0 हल्दी, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, 263145

अंशधारी/अंशधारियों का नाम: ....

पंजीकृत पता: ....

ई–मेल: ....

फोलियों/ग्राहक संख्या: ....

डी पी आई डी:

मैं/हम, उपर्युक्त कम्पनी का/के .... अंशों के सदस्य हैं, अपने प्रतिनिधी के रूप में एतत्द्वारा

1. नाम :...
   पता :...
   ई–मेल :...
   हस्ताक्षर :.. या इनके असमर्थ होने पर
2. नाम :...
   पता:...
   ई–मेल:..
   हस्ताक्षर:.. या इनके असमर्थ होने पर
3. नाम:...
   पता:...
   ई–मेल: ....
   हस्ताक्षर:..

को दिनांक 30 जनवरी 2024 को पूर्वान्ह/अपरान्ह.........................बजे हल्दी में होने वाले कम्पनी के खण्ड 'एफ' से निदेशकों के चुनाव बैठक में अथवा उनकी किसी पुनर्निर्धारण तिथि पर मेरे/हमारी ओर से प्रतिभाग करने तथा निम्न संकल्पों पर मतदान करने के लिए मनोनीत करता हूँ/करते हैं नामित करते हैं।

संकल्प : खण्ड 'एफ' के 04 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से 01 निदेशक चुनना।

दिनांक ...., 2024 को हस्ताक्षरित

अंशधारी/अंशधारियों के हस्ताक्षर........................

प्रॉक्सी/प्रॉक्सियों के हस्ताक्षर..................

रू० 1 का रसीदी टिकट चिपकायें

नोटः

1. इस प्रतिनिधित्व प्रपत्र के प्रभावी होने के निमित्त, यह प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर कम्पनी के उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में बैठक प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घण्टे पूर्व जमा कर दिया जाना चाहिए।
2. जब तक सदस्य द्वारा किसी कार्य के आगे क्रास (X) का निशान न लगाया हो, तब तक प्रॉक्सी धारक समस्त कार्यों के लिए अधिकृत समझा जाएगा।

Annexure - 3

Form No. MGT-11
Proxy form

[*Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies* (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN :	**U01122UR1969SGC003228**
Name of the company :	**UTTARAKHAND SEEDS & TARAI DEVELOPMENT CORPORATION LTD.**
Registered office :	**PANTNAGAR, P.O. HALDI, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR, UTTARAKHAND, 263145**

Name of the member (s) : ....

Registered address : ....

E-mail Id : ....

Folio No./Client Id: ....

DP ID :

I/We, being the member(s) of ....shares of the above named company, hereby appoint

1. Name : ....
   Address : ....
   E-mail Id : ....
   Signature: ....,   of failing him
2. Name : ....
   Address :..
   E-mail Id :..
   Signature: ....,   of failing him
3. Name : ....
   Address :..
   E-mail Id :...
   Signature: ...., of failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Meeting for Election of Directors of Block 'F' of the company, to be held on the 30 January 2024 At ....a.m./p.m. at Haldi and any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below :

Resolution : To Elect, 01 Director from each of the 04 Constituencies of Block 'F'

Signed this..................................day......................2024

Signature of shareholder ....

Signature of Proxy holder(s)..

Revenue Stamp of Rs. 1.00

Note :

1. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
2. Unless the member marks cross (X) on a business it shall be deemed that the proxy holder is authorized for all the business under the Notice.